राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.8(41)नविवि/2019 जयपुर, दिनांकः 30/09/2020

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 20.03.2020 द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा 01.01.2001 के बाद आवंटित ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी/एम.आई.जी–ए के आवासों की बकाया किश्तों की राशि आवंटियों द्वारा एक मुश्त दिनांक 30.06.2020 तक जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में 100 प्रतिशत छूट एवं एम.आई.जी–बी/एच.आई.जी के आवासों की बकाया किश्तें एक मुश्त दिनांक 30.06.2020 तक जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई थी।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्तानुसार छूट दिनांक 01.01.2001 से पूर्व आवंटित आवासों पर भी दी जायेगी अर्थात् दिनांक 01.01.2001 से पूर्व एवं पश्चात आवंटित ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी/एम.आई.जी–ए के आवासों की बकाया किश्तों की राशि आवंटियों द्वारा एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में 100 प्रतिशत छूट एवं एम.आई.जी–बी/एच.आई.जी के आवासों की बकाया किश्तें एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं शास्ति में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

उक्त छूट का लाभ बकाया किश्तों की राशि एक मुश्त दिनांक 31.12.2020 तक जमा कराने पर ही देय होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(त्रिभुवनपति)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. आयुक्त/सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय